प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 54/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र' पर अनुशंसाए जारी कीं

नई दिल्ली, 19 जून 2023- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र' पर अनुशंसाए जारी की हैं।

2. सबमरीन केबल आज की तेज़ गति वाली वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण डिजिटल संचार बुनियादी ढांचा है और किसी भी देश के संचार ग्रिड की जीवन रेखा है, जो उसके व्यवसाय और आर्थिक संचालन को सशक्त बनाती है। आज, इन केबलों का जाल कई देशों के समुद्री क्षेत्रों से होकर गुजरता हुआ दुनिया भर के लोगों और व्यवसायों को जोड़ता है।

3. भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग से दिनांक 12.08.2022 को एक संदर्भ पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मौजूदा यूएल-आईएलडी/ स्टैंडअलोन आईएलडी लाइसेंस के भीतर भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र पर अनुशंसाए मांगी गई हैं। दूरसंचार विभाग ने चिंता जताई है कि हाल ही में कुछ भारतीय आईएलडीओ जिनकी सबमरीन केबल प्रणाली में कोई हिस्सेदारी नहीं है, वे भारत में ऐसी केबल बिछाने/रखरखाव के लिए सबमरीन केबल के मालिकों की ओर से मंज़ूरी मांग रहे हैं और केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) की स्थापना के लिए भी आवेदन कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा चिन्हित मुद्दे के अलावा, प्राधिकरण ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सबमरीन केबलों से संबंधित कुछ अन्य मुद्दों की पहचान की थी, जैसे:

(i) सबमरीन केबल संचालन और रखरखाव के लिए भारतीय ध्वज वाहक जहाजों की आवश्यकता (ii) भारत के समुद्र तट पर दो या दो से अधिक शहरों के बीच स्वदेशी सबमरीन केबल के लिए प्रावधानों को सक्षम करना (iii) स्टब-केबल्स - आगामी नए केबलों के लिए क्षेत्रीय जल में बीच मैनहोल (बीएमएच) के माध्यम से सीएलएस से पूर्व-निर्धारित "डार्क फाइबर" रखने की नई अवधारणा, और (iv) विभिन्न केबल लैंडिंग स्टेशनों के बीच स्थलीय कनेक्टिविटी पर स्पष्टता।

4. तदनुसार, भादूविप्रा ने 23 दिसंबर 2022 को 'भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां और प्रति- टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में, दिनांक 19 अप्रैल 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) भी आयोजित की गई थी।

5. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ विचारों, ओएचडी के दौरान हुई चर्चा और मुद्दों के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने 'भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क और विनियामक तंत्र' पर अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है।

6. अनुशंसाओं की मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

<u>**नई पीढ़ी की सबमरीन केबल प्रणाली के मद्देनजर लाइसेंसिंग/नियामक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है।**</u>

(i) केबल लैंडिंग स्टेशन (सीएलएस) स्थानों की दो श्रेणियां - (क) मुख्य सीएलएस और (ख) सीएलएस प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (सीएलएस-पीओपी) के लिए अनुशंसाए । मुख्य सीएलएस के मालिक भारत में अपने सीएलएस में सबमरीन केबल लैंडिंग से संबंधित सभी अनुमति/मंजूरी प्राप्त करेंगे, जबकि सीएलएस-पीओपी के मालिकों को ऐसी अनुमति/मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, सीएलएस-पीओपी के मालिक को एलआईएम सुविधा की स्थापना सहित सभी सुरक्षा और विनियामक/ लाइसेंस दायित्व को पूरा करना आवश्यक होगा। उन्हें सभी सीएलएस-पीओपी स्थानों और उनके मालिकों के बारे में लाइसेंसकर्ता/ भादूविप्रा को सूचित करना भी आवश्यक होगा।

(ii) आईएलडी/आईएसपी श्रेणी 'ए' (अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे के साथ) लाइसेंसधारियों को सबमरीन केबल में अपने स्वामित्व वाले या पट्टे पर दिए गए डार्क फाइबर पेयर को मुख्य सीएलएस से उनके संबंधित सीएलएस-पीओपी स्थान तक पहुंच प्राप्त करने और विस्तारित करने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, सीएलएस-पीओपी के मालिकों को रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और एलआईएम सुविधा की स्थापना सहित अन्य सभी सुरक्षा और विनियामक/लाइसेंस दायित्व को पूरा करना आवश्यक होगा।

(iii) संबंधित आईएलडी और आईएसपी लाइसेंस/ प्राधिकरण के तहत भारत में सबमरीन केबल लैंडिंग के लिए मुख्य सीएलएस और सीएलएस-पीओपी स्थापित करने के लिए संशोधित विस्तृत दिशानिर्देश और आवेदन जारी किए जाएं।

भारत में सबमरीन केबल बिछाने का स्वामित्व

(iv) आईएलडी या आईएसपी श्रेणी ' ए ' प्राधिकार (अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे के साथ) लाइसेंसधारी जो मुख्य केबल लैंडिंग स्टेशनों (सीएलएस) की स्थापना के लिए अनुमति मांगने के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें वचनबंध प्रस्तुत करना होगा कि वे भारतीय प्रादेशिक जल (आईटीडब्ल्यू) और सीएलएस में संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण करते हैं। इस तरह के उपक्रम को सबमरीन केबल (एसएमसी) परिसंपत्तियों के साथ-साथ सीएलएस में परिसंपत्तियों के स्वामित्व के प्रमाण या इस आशय के लिए सबमरीन केबल मालिक/ कंसोर्टियम के साथ हस्ताक्षरित समझौते द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

सबमरीन केबल संचालन और रखरखाव के लिए भारतीय ध्वजांकित जहाज

(v) दूरसंचार विभाग को सरकारी प्रतिनिधियों (डीओटी, जहाजरानी मंत्रालय, कोच्चि/विशाखापत्तनम/मुंबई शिपयार्ड, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग (एमओएफ) से और सबमरीन केबल में हिस्सेदारी रखने वाले प्रमुख आईएलडीओ को शामिल करते हुए एक समिति का गठन करना चाहिए, जो सरकार से संभावित प्रोत्साहन सहित भारतीय ध्वजांकित केबल मरम्मत जहाजों के लिए विभिन्न वित्तीय व्यवहार्यता मॉडल का अध्ययन और सिफारिश करेगी।

(vi) स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में, भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में सक्रिय सबमरीन केबल मरम्मत जहाज ऑपरेटरों से भी इस समिति द्वारा संपर्क किया जा सकता है ताकि उन्हें आवश्यकता के अनुसार अपने मरम्मत जहाजों को भारतीय बंदरगाह पर स्थानांतरित करने और फिर से फ़्लैग करने के लिए राजी किया जा सके।

(vii) केबल मरम्मत करने के लिए सबमरीन केबल और आवश्यक उपकरण/किट के भंडारण के लिए पश्चिम और पूर्वी दोनों तटरेखाओं में केबल डिपो की पहचान की जानी चाहिए।

(viii) ऊपर प्रस्तावित समिति को इन 'केबल डिपो' की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने (विशेष आर्थिक क्षेत्र और भूमि की समान स्थिति) के तरीके और साधन सुझाने का काम भी सौंपा जाना चाहिए।

(ix) सबमरीन केबल बिछाने और मरम्मत कार्य के लिए सर्वेक्षण/मरम्मत जहाज में भारत के वैध वर्क परमिट वाले चालक दल के सदस्यों को परमिट अवधि के दौरान बार-बार मंजूरी प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है।

स्वदेशी सबमरीन केबल

(x) भारतीय समुद्र तट पर दो या दो से अधिक शहरों को जोड़ने वाली स्वदेशी सबमरीन केबल और ऐसे केबलों के लिए सीएलएस स्थापित करने की अनुमति एनएलडी लाइसेंस/प्राधिकरण के तहत निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जा सकती है -

क) सबमरीन केबल के माध्यम से स्वदेशी यातायात की अनुमति होगी।

ख) जहां भी आवश्यक हो, स्वदेशी सबमरीन केबल को तकनीकी-वाणिज्यिक लाभ के लिए भारत के आईटीडब्ल्यू या ईईजेड से आगे जाने की अनुमति दी जा सकती है।

ग) गैर-भेदभाव के आधार पर केबल लैंडिंग स्टेशनों (सीएलएस) पर सुविधाएँ अन्य एनएलडी लाइसेंस ऑपरेटरों की सबमरीन केबलों के लिए लैंडिंग सुविधाओं सहित तक समान पहुंच अनिवार्य होगी।

घ) सीएलएस पर पहुंच/को-लोकेशन का संचालन भादूविप्रा द्वारा समय-समय जारी आदेशों/ विनियमों/निर्देशों के द्वारा शासित होगा।

(xi) स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल एक ही सीएलएस पर समाप्त हो सकते हैं लेकिन प्रत्येक केबल का अपना अलग नेटवर्क तत्व/उपकरण होगा।

(xii) आवश्यक एलआईएम की आवश्यकता यातायात की प्रकृति पर आधारित होनी चाहिए, एनएलडी या आईएलडी होने और सीएलएस के मालिकों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यातायात को समाप्त करने के लिए भौतिक पृथक्करण बनाए रखना होगा ।

(xiii) अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल को दो भारतीय शहरों के बीच समर्पित फाइबर पेयर पर स्वदेशी यातायात ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के यातायात को भारत के बाहर कोई और देश से पारगमन/मार्गित न हो।

दो अलग-अलग केबल लैंडिंग स्टेशनों के बीच स्थलीय लिंक

(xiv) आईएलडी और एनएलडी लाइसेंस में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि विभिन्न सीएलएस के बीच स्थलीय कनेक्टिविटी की अनुमति है।

(xv) आईएलडी लाइसेंस में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि भारत में समाप्त नहीं होने वाले पारगमन अंतर्राष्ट्रीय यातायात को स्थलीय और साथ ही सबमरीन केबल लिंक के माध्यम से अन्य सबमरीन केबलों तक पारगमन की अनुमति दी जाएगी।

<u>स्टब-केबल (पहले से बिछाई गई डार्क फाइबर सबमरीन केबल)</u>

(xvi) आईएलडी/आईएसपी श्रेणी 'ए' लाइसेंसधारियों को लाइसेंसकर्ता की पूर्व अनुमति के साथ, स्टब-केबल (पूर्व-निर्धारित डार्क फाइबर एसएमसी) बिछाने तथा उन्हें अपने मौजूदा सीएलएस में समाप्त करने या ऐसे स्टब-केबल के लिए नए सीएलएस स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जा सकती है-

क) स्टब केबल को ईईजेड के भीतर किसी भी दूरी तक बिछाया जा सकता है।

ख) स्टब-केबल के मालिक को उपयोग किए गए और अप्रयुक्त डार्क फाइबर पेयर के विवरण का लाइसेंसकर्ता/भादूविप्रा को सालाना विवरण उपलब्ध करना होगा और इन डार्क फाइबर को अन्य आईएलडीओ के साथ उपयोग/साझा करने के लिए लाइसेंसकर्ता से पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

ग) स्टब के मालिक को निष्पक्ष और गैर-भेदभाव के आधार पर स्टब-फाइबर पेयर तक पहुंच प्रदान करनी होगी।

घ) यदि आवश्यक हो, तो स्टब के मालिक को लाइसेंसकर्ता की पूर्व अनुमति के साथ, स्टब के स्वामित्व को अन्य पात्र साधक आईएलडीओ/आईएसपी को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाएगी, जो एलआईएम और अन्य लागू विनियामक अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

<u>दूसरे मामले</u>

(xvii) सीएलएस और सबमरीन केबल संचालन और रखरखाव सेवाओं को 'आवश्यक सेवाओं' का दर्जा दिया जाए। साथ ही, इस महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचे को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) के तहत महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे (सीआईआई) के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

(xviii) सीएलएस और सबमरीन संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक सामान और वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी से छूट।

(xix) सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाने के लिए केबल मरम्मत जहाजों द्वारा बॉन्ड की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है।

(xx) एसएमसी और सीएलएस के लिए आवश्यक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और तटीय विनियमन ज़ोन (सीआरजेड) से संबंधित मंजूरी भी सरल संचार पोर्टल के एक भाग के रूप में ऑनलाइन की जा सकती है।

(xxi) दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की बोर्ड में अनिवार्य उपस्थिति की स्थिति में, दूरसंचार विभाग, रक्षा मंत्रालय के साथ इस बात को आगे बढ़ा सकता है कि सर्वेक्षण डेटा रक्षा मंत्रालय और भारतीय प्रतिनिधियों/जिम्मेदार लाइसेंसधारी अधिकारियों की देखरेख में एकत्र किया जाना चाहिए जो उचित सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

(xxii) सबमरीन केबल और सीएलएस एक महत्वपूर्ण संपत्ति होने के कारण, भारत में 'केबल लैंडिंग स्टेशन' और 'सबमरीन केबल' को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और प्राथमिकता देने के लिए भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 में एक खंड जोड़ा जाना चाहिए।

7. अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

8. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (ब्रॉडबैंड एवं नीति विश्लेषण), भादूविप्रा से दूरभाष नंबर +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा